रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 5, 1968/आश्विन 13, 1890
No. 369] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5, 1968/ASVINA 13, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 5th October 1968

S.O. 3515.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to all commodities other than foodstuffs and fertilisers (whether inorganic, organic or mixed), be exercisable also by the Government of the State of Jammu and Kashmir subject to the following conditions, namely.—

1 (I) in regard to delegation of powers under the said clause (c):—

(i) where the price at which any essential commodity may be bought or sold is controlled by or under any other law for the time being in force, no order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated;

(ii) where the price is not so controlled, no order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated in respect of any essential commodity,

(a) if the wholesale prices, or retail prices, or both, of such commodity have been fixed by the manufacturers or producers thereof with the approval of the Central Government, except on the basis of such prices;

(b) in any other case except with the prior concurrence of the Central Government;

(2) powers under the said clause (c) shall be exercised by the Government of the State of Jammu and Kashmir or an officer authorised by that Government

2. in regard to orders under the said clause (f), prior concurrence of the Central Government shall be obtained,

3. in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j), the Government of the State of Jammu and Kashmir shall authorise only an officer of that Government;

4. no order shall be issued in pursuance of the powers hereby delegated if it is inconsistent with any order issued by the Central Government under the said Act.

[No. 26(58)CS.II/66.]

DEVINDAR NATH, Jt. Secy

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1968

एस० ओ० 3516:—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (झ झ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबन्ध करने के हेतु आदेश करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां खाद्य पदार्थों और उर्वरकों से (चाहे वे कार्बनिक हों, अकार्बनिक हों या मिश्रित हों) भिन्न सब वस्तुओं के सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रयुक्त की जा सकेंगी, अर्थात् :—

1. खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में यह है कि—

   (i) जहां वह मूल्य, जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन नियंत्रित हो, वहां एतद्द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

   (ii) जहां मूल्य ऐसे नियंत्रित न हों वहां किसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में एतद्द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश—

      (क) यदि उस वस्तु के थोक मूल्य अथवा फुटकर मूल्य, अथवा दोनों, उसके विनिर्माताओं अथवा उत्पादकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत किए गए हों तो ऐसे मूल्यों के आधार पर के सिवाय नहीं किया जायेगा।

      (ख) किसी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के सिवाय नहीं किया जाएगा।

   (2) खण्ड (ग) के अधीन शक्तियां जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार अथवा उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी आफिसर द्वारा प्रयुक्त की जायेगी।

2. खण्ड (च) के अधीन आदेशों के बारे में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त की जायेगी;

3. खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के सम्बंध में आदेश करने में जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार केवल उस सरकार के आफिसर को ही प्राधिकृत करेगी;

4. एतद्द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा यदि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किसी आदेश से असंगत है ।

[सं० 26(58) सि० प्र० II/68)

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968